



न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

राजस्व वाद सं० : ~~153/2/172/21~~
28/5/21 / 2021

1- आसब पुत्र हसनू जाति मेव निवासी ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:—वादी

बनाम

- 1- ऐमना पत्नी फतेमोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम गाडपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- 2- हुरी पत्नी खुर्शीद
- 3- गवरुदीन पुत्र आसीन
- 4- रुक्की पुत्री आसीन जाति मेव निवासीगण ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- 5- श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नैशनल बैंक शाखा तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- 6- श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- 7- श्रीमान तहसीलदार साहब, तिजारा वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला-अलवर (राजस्थान)

:—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188 राज०
काश्तकारी अधिनियम-1955

महोदय,

दावा वादी की ओर से निम्न पेश है :—

- 1- यह है कि हाल आराजी खसरा सं. 521 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 522 रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 181 रकबा 0.3400 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला अलवर

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

[Handwritten signature]
28/06/24

~~5.000/-~~
रतन नारी कैं
28/06/24

श्री अनादय

30/12/21 पत्रावली काज वादी अधिवक्ता के धार्मिक पत्र पर तलब होकर देना दुर्घना वादी अधिवक्ता लाफ को को आता नती-याल्ला-याल्ला ही वादको नोट प्रेस किया वादी अधिवक्ता के नोट प्रेस पर वादको रकारिज किया जाता है पत्रावली केंसल अमाए होकर वादतक अमालेख गभार ही है

अखण्ड अधिकारी
दिवारा (अलवर)